B.A I, Paper II
M.A. JOHN

मुसलमानों में तलाक
(Muslim Divorce)

मुसलमानों में एक धार्मिक वर्ग ऐसा है जिसमें तलाक की प्रक्रिया अति सरल है। बाकी चार वर्गों में तलाक के सम्बंध में काफी कठोर नियम पाये जाते हैं अर्थात निकाह के साथ समान तलाक से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है और ये औपचारिकताएँ कई स्तरों में पूरी होती हैं। मुस्लिम मुस्लिम समाज में विशेष परिस्थितियों में स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही तलाक का बराबर से अधिकार प्राप्त होता है। स्त्री यदि तलाक लेती है तो उसे खोला (Khula) कहा जाता है। तलाक के विभिन्न स्वरूप इस प्रकार हैं।

(1) कोई भी सही दिमाग वाला पुरुष कभी भी विशेष परिस्थिति में अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। परन्तु कुरान तथा हदीस में इस स्थिति से बचने का सुझाव किया गया है। यह लिखित तथा अलिखित दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अलिखित तलाक तीन प्रकार के होते हैं। (a) तलाक अहसन (b) तलाक हसन (c) तलाके इद्दत

तलाके अहसन में पत्नी के मासिक धर्म के समय पति एक बार तलाक की घोषणा कर देता है और इद्दत की अवधि तक सहवास नहीं करता इसको समाप्ति के साथ ही वैवाहिक सम्बंध समाप्त हो जाते हैं। (b) इसमें लगातार तीन तुहरों तक पुरुषों को तलाक की घोषणा दोहरानी पड़ती है

तीन तुहरों के बीच के समय तक पति पत्नी के बीच सहवास नहीं होता।

(3) इसमें पुरुष अपनी पत्नी को किसी गवाह के बिना भी किसी समय तलाक की घोषणा कर सकता है।

(2) इला – यदि पति एक कसम लेकर चार माह तक पत्नी के साथ सहवास न करने की प्रतिज्ञा करता है तब वह अवधि समाप्त होने पर तलाक की रस्म मान ली जाती है। यदि इस अवधि में सहवास हो जाता है, तब तलाक वापस समाप्त किया जाता है।

(3) खुला – इस प्रकार के तलाक का प्रस्ताव पत्नी द्वारा रखा जाता है। इस स्थिति में मेहर की रकम नहीं दी जाती।

(4) मुबारत – यह तलाक पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है जिसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिये हर्जाना नहीं देना पड़ता।

(5) जिहार – यदि पति अपनी पत्नी को एक ऐसी स्त्री मान लेता है जिसके साथ मुस्लिम के समाजिक कानून के अनुसार विवाह सम्बंध नहीं हो सकता था, तब पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने को कहती है। यदि पति इस प्रकार का कोई प्रायश्चित न करे तब पत्नी इस से सम्बंध विच्छेद कर सकती है।

(6) लियान – यदि पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारणी होने के आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापिस नहीं लेता, तब पत्नी अदालत में तलाक के लिये प्रार्थना पत्र दे सकती है। लेकिन यदि

Muslim Divorce

द्वारा माफी माँगा लेने पर पत्नी उसे तलाक नहीं दे सकती।

(7) कानून द्वारा तलाक। मुस्लिम तलाक कानून 1939 के द्वारा भी पत्नी को तलाक का अधिकार दिया गया है। ये दशाएँ इस प्रकार हैं।

(a) यदि प्रार्थना पत्र देने के चार वर्ष पहले से पति के बारे में पत्नी को कोई जानकारी न हो।

(b) यदि पति पिछले दो वर्ष से अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असफल रहा हो

(c) यदि पति को सात वर्ष या इससे अधिक के लिये जेल हो गई हो

(d) यदि प्रार्थना पत्र देने के दो वर्ष पहले से पागल हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो।

(e) यदि लड़की का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में हो गया हो और पत्नी ने पति से सहवास किये बिना 18 वर्ष की आयु होने से पहले ही इस विवाह को अस्वीकार कर दिया हो।

(f) यदि पति क्रूरता का दोषी हो अथवा उसका बदनाम स्त्रियों से सम्बंध हो।

(g) यदि पति अपनी सभी पत्नियों से समानता का व्यवहार न करता हो

(h) पति द्वारा पत्नी के धार्मिक कार्यों बाधा पहुँचायी जाती हो।

(i) इनके अलावा किसी भी ऐसे कारण के आधार पर तलाक किया जा सकता है जो मुस्लिम कानून के अनुसार मान्य हो।

Scanned with CamScanner